न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 47/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/71**
दायर दिनांक :– 04.03.2025 **निर्णय दिनांक :– 21.05.2025**

1. जगमाल पुत्र हरजीजी जाति विश्नोई निवासी वियो का गोलिया तह. भीनमाल जिला जालोर

प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित
2. अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है जिसका संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी एवं अन्य खातेदारान के नाम की कृषि भूमि नये खसरा नम्बर 513, 162, 591, 590 की भूमि ग्राम सोनलपुरा पटवारी हल्का राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि का प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के मध्य आपसी सहमति से बंटवाड़ा कार्यालय तहसीलदार बाप में दिनांक 18.07.2013 को किया जाकर पटवारी हल्का राणेरी को माफिक बंटवाड़ा अनुसार अमल दरामद करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ने आदेश पारित किया था, तथा पटवारी हल्का ने माफिक बंटवाड़ा अनुसार अमल दरामद खसरा नम्बर 162 गलत अंकित किया गया था एवं शेष खसरों का अमल दरामद सही किया गया था। नकलत बंटवाड़ा एवं नक्शा प्रति की प्रमाणित संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। हल्का पटवारी द्वारा रेकर्ड में अमल दरामद करते समय खसरा नम्बर 162 के नक्शा तरमीम लिपिकीय सेवन एवं त्रुटि से तरमीम गलत दर्शाकर अंकित की है। जिसको प्रार्थी पूर्व के बंटवाड़ा दिनांक 18.07.2013 के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवाने का कनूनीय अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब एवं मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गयी। ग्राम सोनलपुरा के खेत खसरा नम्बर 162 रकबा 72–00 बीधा भूमि का आपसी सहमति से जोत विभाजन दिनांक 18.07.2013 को करवाया है। जोत विभाजन के समय आपसी सहमति से बंटवाड़ा का नजरी नक्शा तैयार किया गया। खसरा नम्बर 162 को छोड़ कर शेष खसरान् की तरमीम नक्शा अनुरूप कर दी गई लेकिन त्रुटि वश खसरा नम्बर 162 व उसके बट्टा नम्बरान् 162/2, 162/3 व 162/4 की तरमीम बंटवाड़ा के नजरी नक्शा अनुसार नहीं की गई। इसलिये हल्का पटवारी एवं भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट एवं संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है। पत्रावली बहस में रखी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे बताया कि प्रार्थी एवं अन्य खातेदारान के नाम की कृषि भूमि नये खसरा नम्बर 513, 162, 591, 590 की भूमि ग्राम सोनलपुरा पटवारी हल्का राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि का प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान

21/5/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

के मध्य आपसी सहमति से बंटवाड़ा कार्यालय तहसीलदार बाप में दिनांक 18.07.2013 को किया जाकर पटवारी हल्का राणेरी को माफिक बंटवाड़ा अनुसार अमल दरामद करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ने आदेश पारित किया था, तथा पटवारी हल्का ने माफिक बंटवाड़ा अनुसार अमल दरामद खसरा नम्बर 162 गलत अंकित किया गया था एवं शेष खसरों का अमल दरामद सही किया गया था। नकलत बंटवाड़ा एवं नक्शा प्रति की प्रमाणित संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। हल्का पटवारी द्वारा रेकर्ड में अमल दरामद करते समय खसरा नम्बर 162 के नक्शा तरमीम लिपिकीय सेवन एवं त्रुटि से तरमीम गलत दर्शाकर अंकित की है। वादग्रस्त भूमि का पूर्व में बंटवाड़ा दिनांक 18.07.2013 के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने का आदेश फरमावे।

अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने भी उपस्थित हो कर बताया कि ग्राम सोनलपुरा के खेत खसरा नम्बर 162 रकबा 72–00 बीधा भूमि का आपसी सहमति से जोत विभाजन दिनांक 18.07.2013 को करवाया है। जोत विभाजन के समय आपसी सहमति से बंटवाड़ा का नजरी नक्शा तैयार किया गया। खसरा नम्बर 162 को छोड़ कर शेष खसरान् की तरमीम नक्शा अनुरुप कर दी गई लेकिन त्रुटि वश खसरा नम्बर 162 व उसके बट्टा नम्बरान् 162/2, 162/3 व 162/4 की तरमीम बंटवाड़ा के नजरी नक्शा अनुसार नहीं की गई। इसलिये हल्का पटवारी एवं भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट एवं संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। ग्राम सोनलपुरा के खेत खसरा नम्बर 162 रकबा 72–00 बीधा भूमि का आपसी सहमति से जोत विभाजन दिनांक 18.07.2013 को करवाया गया था उक्त जोत विभाजन के समय आपसी सहमति से बंटवाड़ा का नजरी नक्शा तैयार किया गया। उक्त नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 162 को छोड़ कर शेष खसरान् की तरमीम नक्शा अनुरुप कर दी गई लेकिन त्रुटि वश खसरा नम्बर 162 व उसके बट्टा नम्बरान् 162/2, 162/3 व 162/4 की तरमीम बंटवाड़ा के नजरी नक्शा अनुसार नहीं की गई जो तथ्य मौका फर्द एवं पैरोकार सरकार के जवाब से स्पष्ट है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सोनलपुरा पटवार क्षेत्र रोणरी तहसील बाप जिला फलोदी के खसर नम्बर 162, 162/2, 162/3 व 162/4 की वर्तमान तरमीम दुरूस्त की जाकर बंटवाड़ा एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 13.05.2025 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश पालना करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)